

आदेश	<p style="text-align: center;">कार्यवाही विवरण</p> <p style="text-align: center;">गिरिराज सिंह 85/2021 V/S नम्वरान [136 L.R.A.]</p>	अनुपलाना में क्रमांक व दिनांक
------	---	-------------------------------------


14.09.2021

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप0 एवं तहसीलदार उदयपुरवाटी उप0। तहसीलदार उदयपुरवाटी से तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त। बहस प्रा0 प0 मूल पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने राजस्व रिकार्ड में शुद्धि/दुरुस्ती करवाने का निवेदन किया। बहस श्रवण करने एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात यथा परिवार राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, जन आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत इन्द्रपुरा, बैंक पास बुक, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, शपथ पत्र गिरिराज सिंह, तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट दिनांक 14.09.2021 का अवलोकन करने पर पाते है कि प्रार्थी का सही नाम गिरिराज पुत्र पीरू सिंह है तथा गजराज सिंह एवं गिरिराज सिंह दो अलग अलग व्यक्ति नहीं होकर एक ही व्यक्ति के नाम है। उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है ग्राम इन्द्रपुरा पटवार हल्का इन्द्रपुरा तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 321 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम गजराज सिंह पुत्र पीरू सिंह के बजाय गिरिराज सिंह पुत्र पीरू सिंह दुरुस्त/शुद्ध किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्त करें। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेंगे।




 (राम सिंह राजावत)
 उप उपखण्ड अधिकारी,
 उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 14.09.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 (राम सिंह राजावत)
 उप उपखण्ड अधिकारी,
 उदयपुरवाटी

